

सविलि सेवक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

मेन्स के लिये:

सरकारी नीति और कार्रवाई पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये सविलि सेवकों का अधिकार।

चर्चा में क्यों?

तेलंगाना की एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने सुश्री बानो के समर्थन में अपने परसनल अकाउंट से ट्वीट किया और वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बलिकसि बानो के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले पर सवाल उठाया।

- इसने इस बारे में चर्चा को प्रेरित किया कि क्या अधिकारी ने सविलि सेवा (आचरण), 1964 के नियमों का उल्लंघन किया साथ ही कानून तथा शासन के मामलों पर अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने के लिये सविलि सेवकों के अधिकार के बारे में बहस को संज्ञान में लाया।

बलिकसि बानो केस

परिचय:

- 15 अगस्त, 2022 को बलात्कार और हत्या के मामले में उमरकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों की रिहा किया गया।
- कई लोगों ने यह भी बताया कि रिहाई संघीय सरकार और गुजरात राज्य सरकार दोनों द्वारा जारी दशिया-नरिदेशों के उल्लंघन है, जिसमें दोनों का कहना है कि बलात्कार एवं हत्या के दोषियों को छूट नहीं दी जा सकती है।
 - इन अपराधों में आमतौर पर भारत में मृत्युदंड तक दिया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वपिक्षी नेताओं और कार्यकर्त्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद गुजरात सरकार से जवाब मांगा है।

सविलि सेवक की भूमिका:

- बलिकसि बानो मामले पर ट्वीट में अधिकारी द्वारा "सविलि सेवक" शब्द जोड़ना इस अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है कि सविलि सेवक का धर्म संवैधानिक सिद्धांतों को अक्षरशः और मूल रूप से तथा कानून के शासन को बनाए रखना है।
- इस मामले में संविधान की भावना और कानून के शासन दोनों को विकृत किया जा रहा है।
- यह एक बहुत ही खतरनाक मसाला हो सकती है, क्योंकि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने आठ हत्या के दोषियों को रिहा किया था (उनके द्वारा अनविार्य 14 साल की जेल पूरी नहीं करने के बावजूद)।
- कुछ कार्यों के लिये यदि सविलि सेवक चाहे सेवानवित्त हो या सेवा में बोलते हैं, तो यह नौकरशाही शक्त के मनमाने दुरुपयोग पर किसी प्रकार का नविवारक [प्रभाव] होगा।

सविलि सेवक सरकार की नीति और कार्य पर अपने विचार की अभिव्यक्ति:

- भारत के संविधान में देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किये जाने के कारण किसी सविलि सेवक को ट्वीट करने का अधिकार है लेकिन यह अधिकार राज्य की संप्रभुता, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, स्वास्थ्य, नैतिकता आदि को सुरक्षित रखने के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन होता है।
- लेकिन सरकारी सेवा में रहने के दौरान सविलि सेवक कुछ अनुशासनात्मक नियमों के अधीन होता है।
 - यह नियम सरकारी कर्मचारी को किसी राजनीतिक संगठन, या इस तरह के किसी भी संगठन का सदस्य बनने से रोकते हैं और यह देश के शासन से संबंधित किसी भी विषय पर इन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति को सीमित करते हैं।
 - यह नियम ब्रिटिश कालीन है और उस समय यह नियम अधिकारी की अभिव्यक्ति को सीमित करते हुए अंतिम अनुशासन को बनाए रखना चाहते थे।
- हालाँकि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करने का अधिकार मौलिक अधिकार है।

संबंधित नरिणय:

■ लपिका पॉल बनाम त्रपुरा राज्य:

- एक ऐतहासिक फैसले में, जनवरी 2020 में, त्रपुरा के उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि "एक सरकारी कर्मचारी अपने भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार, एक मौलिक अधिकार से रहति नहीं है।"
- न्यायालय ने स्वीकार किया कि भाषण के अधिकार की अभिव्यक्ति कुछ परस्थितियों में काट-छांट के अधीन है, इस फैसले में सरकारी कर्मचारियों के लिये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण अर्थ नहिति है।
 - बलिकसि बानो मामले में, अधिकारी को अपने स्वयं के विश्वासों को धारण करने और उन्हें अपनी इच्छानुसार व्यक्त करने का अधिकार था, जो त्रपुरा में लागू आचरण नियमों में निर्धारित सीमाओं को पार नहीं करने के अधीन था।
 - किसी वधायिका द्वारा बनाए गए वैध कानून के अलावा किसी मौलिक अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती है।
 - केंद्रीय सविलि सेवा (आचरण) के नियमों में से नियम सं.9 के अनुसार "कोई भी सरकारी कर्मचारी ... तथ्य या राय का कोई बयान नहीं देगा ... जिस पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी मौजूदा या हालिया नीतिया कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव पड़ता है।"

■ केरल उच्च न्यायालय का फैसला:

- वर्ष 2018 में केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि "केवल एक कर्मचारी होने के कारण किसी को अपने विचार व्यक्त करने से नहीं रोका जा सकता है"।
- एक लोकतांत्रिक समाज में, प्रत्येक संस्था लोकतांत्रिक मानदंडों द्वारा शासित होती है

आगे की राह

■ लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना:

- आजकल, कई सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों को सरकारी नीतियों को सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
 - दुर्भाग्य से सरकारी अधिकारियों को प्रोत्साहन का एक ही तरीका यानी मीडिया में अच्छी बातें कहने के लिये दिया जाता है।
 - इसके साथ समस्या यह है कि यदि कोई नीतिलागू की जा रही है तो लोकतंत्र में हर किसी को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार, आपत्तिका अधिकार तथा असहमतिका अधिकार है।

■ अधिकारी के अधिकार को बनाए रखना:

- सोशल मीडिया के माध्यम से नीतियों के बारे में पारदर्शिता बढ़ाना सरकारी अधिकारियों का कर्तव्य है। केस-दर-केस दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिये।

■ अंतर करने की आवश्यकता :

- समय की मांग है कि समाज, संविधान और कानून के शासन को चोट पहुँचाने वाली चीजों के बीच अंतर स्पष्ट किया जाए।
- बलिकसि बानो के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दोषियों को रद्द करने का आदेश दिया, जिसे गुजरात सरकार द्वारा नष्पादित किया गया था, (सवाल यह है कि यह कैसे हुआ) जो एक अपवाद था।

स्रोत: द हट्टि